कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्पयूटर कक्ष)

पत्रांक–कम्पयूटर– 759 /PKSY/दिनांक लखनऊ 09 नवम्बर 2016

समस्त जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में Online पारदर्शी लाभार्थी चयन करते हुए ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धान्त के आधार पर लाभ वितरण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–811/12–3–2014–100(61)/2012 दिनांक 23–07–2014 द्वारा की गयी है तथा Online पंजीकरण, लाभार्थी चयन, लाभ वितरण तथा डी0बी0टी0 हेतु पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल upagriculture.com विकसित है जिसमें सम्बन्धित योजनाओं का मास्टर डाटा अनुदान के आगणन हेतु फीड हो चुका है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया सभी योजनाओं में उक्त पोर्टल के माध्यम से **''पहले पंजीकरण कराओ, पहले लाभ पाओ'' के सिद्धान्त पर लाभार्थियों का Online चयन करते हुए सभी योजनाओं में सभी प्रकार के बीज, जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रीयन्टस, सभी प्रकार के प्रदर्शन, सभी योजनाओं के कृषि यन्त्र, कृषि रक्षा उपकरण, स्प्रिंकलर सेट, बखारी, सिंचाई पाइप, इको फ्रेन्डली लाइट ट्रैप आदि सभी वस्तुओं का DBT के माध्यम से लाभ वितरण सुनिश्चित करायें।** जो भी अधिकारी उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए Offline लाभ वितरण करेगा उसे शासन की पारदर्शिता की नीति के विरूद्ध कार्य करने का दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

9/11

(सोराज सिंह)
अपर कृषि निदेशक(प्रसार)
उत्तर प्रदेश।

9/11/16

पत्रांक–कम्पयूटर–759 /तद् दिनांक।

प्रतिलिपि – समस्त योजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से कि वे उक्त पोर्टल पर अपनी योजना से सम्बन्धित मास्टर डाटा/अनुदान की दरें स्वंय जॉच लें ताकि किसानों को DBT में कोई व्यवधान न हो। यदि किसी मद का कोई विवरण छूट गया हो तो उसे अविलम्ब पोर्टल पर सेवाप्रदाता के माध्यम से फीड कराना सुनिश्चित करें।

9/11

अपर कृषि निदेशक(प्रसार)
उत्तर प्रदेश।

9/11/16